न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती मधुलिका सींवर, आर0ए0एस0
राजस्व प्रा0 पत्र सं0 : 288/2019 (88/2018)
GCMS NO. : 2018/00021

–:: वादी ::–	बनाम	–:: प्रतिवादीगण ::–
1. सायर वल्द अणदा जातियान काठात निवासीगण टूंकडा तहसील जैतारण।		1. देवाराम पुत्र पांचूराम जातियान गुर्जर निवासीगण टूंकडा तहसील जैतारण। 2. तहसीलदार, जैतारण। 3. पटवारी पटवार हल्का टूंकडा तहसील जैतारण जिला पाली।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजूः 25/09/2019

उपस्थितः. 1. श्री हरीओम पारिक, अधिवक्ता, प्रार्थी।
2. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

–:: निर्णय : **दिनॉकः 30/09/2021**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद धारा 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत् विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा टूंकडा पटवार हल्का टूंकडा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र, रास तहसील जैतारण में खसरा संख्या 59/1 रकबा 3–06 बीघा व खसरा संख्या 72/1 रकबा 7–07 बीघा बारानी अव्वल भूमि आई हुई है। मुदर्दइ उपर्युक्त वर्णित मुतदाविया आराजी का sole-owner है, मौके पर सायल का Possession है एवं तरमीम हो रखी है। मुद्दायलहा संख्या 01 का उक्त खसरा नम्बरान की आराजी में कोई हक व हित निहित नहीं है। उसे सायल की स्वामित्व सुदा व स्वत्व सुदा आराजी में न तो प्रवेश करने का अधिकार है न ही उक्त खसरा नम्बर की आराजी में दखलन्दाजी व दस्तदांजी व बेजा मजामहत पैदा करने का अधिकार है। नकल जमाबंदी सम्बत् 2073 से 2076 की प्रमाणित प्रति व नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति वाद पत्र की साथ है। उक्त आराजी को वाद पत्र में मुतदाविया आराजी से सम्बोधित किया जायेगा। वर्णित आराजी में मुद्दायलहान Muscles Power के आधार पर उक्त आराजी हडप कर मुद्दई को खुद के खेत से बेदखल करने पर उतारू है जिससे मुद्दई को असीम अपूरणीय क्षति होगी व मुद्दई को मल्टी सिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स का बेवजह मुकाबला करना पडेगा व खर्चे से जैर बार होना पडेगा व मुद्दायलहान संख्या एक द्वारा अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर गैर कानूनी रूप से सायल की कृषि भूमि में तामिरात खडे [illegible] तो अपूरणीय क्षति होगी। अतः हुक्त इम्तनाई दवामी मेण्डेटरी एवं प्रोहीबिटरी [illegible]म की वाद खिलाफ मुद्दायलहान के पेश है। मुद्दायलहान संख्या 2 व 3 सरकारी मुमायन्दे है। [illegible] पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति हेतु अलग से अन्तर्गत [illegible] 80(2) सी.पी.[illegible] प्रार्थना पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.02.17 16:00:47 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

पेश है। मुद्दई ने मुद्दायलहा संख्या 1,2,3 के खिलाफ हुक्म इम्तनाई दवामी का सूट किया किन्तु राजस्व लोक अदालत में Mutual Consent के आधार पर रास्ता का अधिकार के तहत मुद्दई स्वयं की पत्नि के नाम की खातेदारी जमीन खसरा नम्बर 60,66 में से दी और देवाराम बनाम सायर व सायर बनाम देवाराम परस्पर पीठासीन अधिकारी के Pronounce के आधार पर मुद्दई विश्वास में आकर राजस्व न्यायालय में लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा निर्णय हो इस विश्वास में सहयोग की सद्भावना में स्वयं का प्रार्थना पत्र व दावा खारिज (नोट प्रेस) करा दिया जबकि इस सम्बन्ध में मुद्दई ने स्वयं के अधिवक्ता द्वारा मुद्दायलहा संख्या 01 को जरिये डाक रजिस्टर्ड नोटिस भी दिया गया। मुद्दई ने इस्तदुआ की कि मुद्दई की स्वामित्व सुदा एवं स्वत्व सुदा कृषि मुतदाविया आराजी खसरा नम्बर 59/1 रकबा 3-06 बीघा, खसरा नम्बर 72/1 रकबा 7-07 बीघा में मुद्दायलहान दखलंदाजी व दस्तंदाजी न करें व मुद्दायलहान संख्या 01 व इनके वारिसान हाली एजेन्ट को जरिये हुक्म इम्तनाई दवामी मेण्डेटरी एवं प्रोहिबिटरी के रोका जावे हमेशा-हमेशा के लिए। मुद्दई के हक में एवं मुद्दायलहान के खिलाफ डिक्री हुक्म इम्तनाई दवामी मेण्डेटरी एवं प्रोहिबिटरी पारित करने का हुक्म फरमावें।

इस पर प्रार्थी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गैरसायलान को जरिये नोटिस के तलब किये गये। गैरसायल संख्या 01 की ओर से वकालतनामा पेश हुआ, सामिल मिसल है। गैरसायलान की ओर से जवाब दावा पेश हुआ, जो सा0मि0 है। गैरसायल ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि मौजा टुकड़ा में खसरा नम्बर 59/1 व 72/1 की भूमि आई हुई होने के कथन सही होने से स्वीकार है। इसके अलावा इस पद में वर्णित अन्य तथ्य पूर्णतया असत्य झूठे व बेबुनियाद होने से अस्वीकार है। वास्तविकता इस प्रकार से है कि मौजा टुकड़ा में ही गैरसायल देवाराम व अन्य के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 70 व 71 के कुल खसरा 02 कुल रकबा 44 बीघा की भूमि स्थित है जिसकी चालू जमाबन्दी इस जवाब प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। इस प्रकार से जवाब देहन्दा की खसरा नम्बर 70 व 71 की भूमि में आवागमन का एक मात्र रास्ता खसर नम्बर 59/1 व 72/1 से होते हुये पीढियो से निकलता है तथा उक्त रास्ता कदीमी है, जो मौके पर 20-22 फुट चौड़ा रास्ता है। तथा सेटलमेन्ट के समय से लगायत आज दिन तक रास्ता मौके कायम है लेकिन वर्ष 2013 में सायर ने उक्त रास्ता बन्द करने का प्रयास किया था। जिस पर जवाब देहन्दा देवाराम की ओर से कार्यवाही अन्तर्गत धारा 251ए राज. काश्त. अधि. 1955 की सायर के विरूद्ध अदालत श्रीमान् के समक्ष पेश की गई थी। उक्त कार्यवाही में अदालत श्रीमान् द्वारा पारित आदेशानुसार प्रकरण का अन्तिम रूप से निस्तारण दिनांक 25.07.2018 को किया गया था। नकल फैसला इस जवाब के साथ पेश है। फैस[illegible] पालना में गैरसायल देवाराम द्वारा नियमानुसार राशि भी जमा करवायी जा चुकी है। इस प्रकार से मौके पर खसरा नम्बर 59/1 व 72/1 से होते हुये जवाब देहन्दा की भूमि पर आवागमन का रास्ता निकलता है इस रास्ते बाबत् तथ्यो को छुपाते हुये सायल सायर ने अदालत

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.02.17 16:00:47 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

श्रीमान् के समक्ष यह निराधार वाद पत्र पेश किया है जिसमें सायल सायर ने वास्तविक तथ्यो को छुपाया है एवं साफ हाथो से न्यायालय के समक्ष नही आया है। इसलिये वादी सायर इस प्रार्थना पत्र के जरिये किसी भी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नही होने से वादी की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र काबिल खारिज के होने से खारिज किया जावें। उक्त तथ्यो के अलावा सम्पूर्ण पद कतई गलत होने से अस्वीकार है। वाद पत्र के पद संख्या 02 में वर्णित कथन पूर्णतया असत्य झूठे व बेवूनियाद होने से अस्वीकार है। वादी ने इस पद में विवाद होने, बहुल्यता होने, अपने आप को अपूरणीय क्षति होने के कथन कतई झूठे लिखे है। वादी जवाब देहन्दा के विरूद्ध खसरा नम्बर 59/1 व 72/1 की भूमि पर मौके पर चल रहे रास्ते के बाबत् किसी भी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नही होने से वादी का वाद पत्र काबिल खारिज के होने से खारिज किया जावें। उक्त तथ्यो के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होने से अस्वीकार है। वाद पत्र के पद संख्या 03 व 06 कानूनी है जो काबिल गौर अदालत बाला के है। वाद पत्र के पद संख्या 04 में वर्णित वादी ने इसी वादी पत्र में वर्णित बिनाय वाद पर पूर्व में अदालत श्रीमान् के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया था। जो बाद सुनवाई के खारिज हुआ है। इस प्रकार से रेस्ट ज्युडिकेटा के सिद्धान्तानुसार सायल की ओर से प्रस्तुत यह वाद पत्र विधि द्वारा वर्जित होने से काबिल खारिज के है, जो खारिज किया जावें। वाद पत्र के पद संख्या 05 मालियत बाबत् है जो गौर अदालत के है। वादपत्र के पद संख्या 7 वादी की इस्तदुआ कतई असत्य झूठी व बेबूनियाद है जो अस्वीकार है। वादी का वादपत्र काबिल खारिज के है जो खारिज किया जावें। जवाब देहान्दा द्वारा अतिरिक्त कथन किये गए कि वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में बिनाय वाद का कोई उल्लेख वादी ने नहीं किया है। इस प्रकार से वादी को जवाब देहान्त के विरूद्ध कोई बिनाय वाद प्राप्त नहीं होने से वादी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र काबिल खारिज के है, जो खारिज किया जावें।

हमनें पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया गया। तनकी संख्या 3 व 4 कानूनी तनकी है। अतः उक्त तनकीयान को सर्वप्रथम निर्णित किया जाना आवश्यक है। चुंकि कानूनी तनकीयात में वादी प्रतिवादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होती है अतः बहस वकुलाय कानूनी तनकीयात 3 व 4 पर सुनी गई। जिसमें सर्वप्रथम विवाद्यक संख्या 4 का विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

- विवाद्यक संख्या 4

यह है कि वादी द्वारा वाद में बिनाय वाद का कोई उल्लेख नहीं किया है। अतः उक्त वाद काबिल खारिज के है?

जिम्मे प्रतिवादी

यह विवाद्यक साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादीगण की है। प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाबदावा में यह अभिकथित किया है कि वादी ने अपने वाद–पत्र में बिनाय वाद का कोई उल्लेख नहीं किया है अतः वादपत्र खारिज किया जावे। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादीगण के उक्त कथन का किसी भी रूप में खंडन नहीं किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.02.17 16:00:47 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

है। वादपत्र के गहनतापूर्वक अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी ने अपने संपूर्ण वाद-पत्र में कहीं भी यह अंकन नहीं किया है कि उसे प्रतिवादीगण के विरूद्ध कब, किस स्थान पर व कैसे वाद-हेतुक प्राप्त हुआ? हमने व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 7 नियम 11 में दिये गये विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। आदेश 7 नियम 11(क) में निम्नलिखित प्रावधान है- वाद-पत्र निम्नलिखित दशाओं में नामंजूर कर दिया जायेगा- (क) जहाँ वह वाद-हेतुक प्रकट नहीं करता है। अतः व्यवहार प्रक्रिया संहिता के उक्त प्रावधान के तहत भी वादी का वाद वाद-हेतुक के अभाव में पोषणीय नहीं है। इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि बिनाय वाद के अभाव में वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र विधि द्वारा बाधित है, जो कि खारिज योग्य है। अतः प्रतिवादीगण उक्त विवाद्यक को साबित करने में पूर्णतया सफल हुए है। अतः यह विवाद्यक बहक प्रतिवादीगण विरूद्ध वादी निर्णित किया जाता है।

चुंकि उक्त विवाद्यक प्रतिवादीगण के पक्ष में साबित हुआ है जिसके अनुसार वादी द्वारा अपने वादपत्र में बिनाय वाद का अंकन नहीं किया है। चुंकि वादपत्र में वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध बिनाय वाद कब, कहाँ व कैसे प्राप्त हुआ? का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। अतः वाद-पत्र इसी स्तर पर काबिल खारिज के है एवं हम प्रकरण में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अन्य विवाद्यक यथा विवाद्यक संख्या 3 का विवेचन एवं निर्णयन करना आवश्यक नहीं समझते है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वादी द्वारा वाद-पत्र में बिनाय वाद का उल्लेख नहीं करने व बिनाय वाद प्राप्त नहीं होने से वाद अस्वीकार/खारिज किया जाना विधिसंगत एवं उचित रहेगा।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त कानूनी विवाधक के विवेचन के आलोक में वाद वादी अन्तर्गत 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में वादी द्वारा वाद-पत्र में बिनाय वाद का उल्लेख नहीं करने व बिनाय वाद प्राप्त नहीं होने से वाद अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री पृथक से जारी हो जो इस आदेश का भाग हो। पत्रावली इसी माफिक निर्णीत होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला-पाली(राज.)

निर्णय आज दिनाँक 30/09/2021 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला-पाली(राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.02.17 16:00:47 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- **सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), मुकामः- जैतारण**

बईजलास :- **श्रीमती मधुलिका सींवर, आर0ए0एस0**

-:: वादी ::- **बनाम** **-:: प्रतिवादीगण ::-**

1. सायर वल्द अणदा
जातियान काठात
निवासीगण टूंकडा तहसील
जैतारण।

1. देवाराम पुत्र पांचूराम
जातियान गुर्जर निवासीगण
टूंकडा तहसील जैतारण।
2. तहसीलदार, जैतारण।
3. पटवारी पटवार हल्का टूंकडा
तहसील जैतारण जिला पाली।

मु0न0 :रा0वा0 स0: 288/2019 (88/2018)

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरू ....-........ व हाजरी श्री हरिओम पारिक, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी अन्तर्गत धारा 92ए,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में बिनाय वाद का उल्लेख नहीं करने व बिनाय वाद प्राप्त नहीं होने से वाद अस्वीकार/खारिज किया जाता है। इसी कदर वाद-पत्र वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा पृथक से जारी होकर निर्णय का भाग होगा।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत......-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ... .-......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख **30/09/2021** को जारी किया गया।

मोहर

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला-पाली (राज0)

मुद्धई	रूपये पैसे	मुद्धायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	3.00	स्टाम्प वकालतनामा	1.00
स्टाम्प वकालतनामा	1.00	स्टाम्प अर्जी	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	0.00	महनताना वकील	0.00
महनताना वकील	0.00	खर्चा गवाहान	0.00
खर्चा गवाहान	2.00	फीस कमीश्नर	0.00
फीस कमीश्नर	0.00	बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00
बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00	मुतफरिक	0.00
मिजानः-	6.00	मीजान	1.00

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकैन को यदि डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.02.17 16:00:47 IST
Reason: SelfAttested